भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 621
जिसका उत्तर बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

महिला न्यायाधीश

+621. श्री नारणभाई काछड़िया :
श्रीमती गीताबेन वी. राठवा :
श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर :
श्री जॉन बर्ला :
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री पिनाकी मिश्रा :
श्री शान्तनु ठाकुर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला- स्तर के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत महिलाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;
(ख) संघ सरकार द्वारा स्थापित न्यायाधिकरणों में नियुक्त महिला न्यायाधीशों की अधिकरण-वार संख्या कितनी है ;
(ग) अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्त महिला न्यायाधीशों की जिले-वार संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार ने न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए आरक्षण लागू करने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : तारीख 01.09.2020 तक उच्चतम न्यायालय में 2 महिला न्यायाधीश और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 78 महिला न्यायाधीश हैं । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों की पद संख्या और महिला न्यायाधीशों की संख्या के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबद्ध है ।

(ख) : अभिकरणों में महिला न्यायाधीशों के ब्यौरे केन्द्रीय रुप से नहीं रखे जाते है चूंकि वे सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित हो रहे है।

(ग) : अधीनस्थ न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों पर सूचना भी केन्द्रीय रुप से नहीं रखी जाती है चूंकि विषय-वस्तु उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है ।

(घ) और (ङ) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है । ये अनुच्छेद महिला सहित व्यक्ति की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । तथापि, सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों से

अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए।

****

उपाबंध

महिला न्यायाधीश के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 621 जिसका उत्तर तारीख 16.09.2020 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(तारीख 01.09.2020 तक)

क्र.सं.	**न्यायालयों का नाम**	**न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या**	**कार्यरत महिला न्यायाधीशों की संख्या**
क	उच्चतम न्यायालय	34	02
ख	उच्च न्यायालय		
1	इलाहाबाद	160	06
2	आंध्र प्रदेश	37	04
3	बंबई	94	08
4	कलकत्ता	72	05
5	छत्तीसगढ़	22	02
6	दिल्ली	60	08
7	गुवाहाटी	24	01
8	गुजरात	52	04
9	हिमाचल प्रदेश	13	01
10	संघ-राज्यक्षेत्र जम्मू -कश्मीर और संघ-राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए उभयनिष्ट उच्च न्यायालय	17	01
11	झारखंड	25	01
12	कर्नाटक	62	05
13	केरल	47	05
14	मध्य प्रदेश	53	03
15	मद्रास	75	09
16	मणिपुर	05	00
17	मेघालय	04	00
18	ओडिशा	27	02
19	पटना	53	00
20	पंजाब और हरियाणा	85	1 1
21	राजस्थान	50	01
22	सिक्किम	03	01
23	तेलंगाना	24	00
24	त्रिपुरा	04	00
25	उत्तराखंड	1 1	00

****